भारत सरकार
कार्मिक, लोक शिकायत एवं पेंशन मंत्रालय
पेंशन और पेंशनभोगी कल्याण विभाग
*****

लोक सभा अतारांकित प्रश्न सं. 4376
(उत्तर दिए जाने की तारीख 14.12.2016)

पेंशनधारियों के लिए आधार को अनिवार्य करना

4376. श्री नटुभाई गोमनभाई पटेल :

क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या पेंशनधारियों के लिए अपने आधार संख्या को अपने बैंक खाते से जोड़ना अनिवार्य कर दिया गया है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या वर्ष 2017 के बाद बिना आधार संख्या वाले पेंशनधारियों को पेंशन जारी न करने का विचार है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि बड़ी संख्या में 80 वर्ष और 90 वर्ष की आयु वाले पेंशनधारियों के पास आधार कार्ड नहीं है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) सरकार द्वारा पेंशनधारियों को आधार कार्ड जारी करने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

उत्तर

कार्मिक, लोक शिकायत एवं पेंशन राज्य मंत्री एवं राज्य मंत्री, प्रधान मंत्री कार्यालय
(डॉ. जितेन्द्र सिंह)

(क) और (ख): नहीं महोदया। वर्तमान में केन्द्रीय सरकार के पेंशनधारियों को पेंशन जारी करने के लिए अपनी आधार संख्या को अपने बैंक खाते से जोड़ना अनिवार्य करने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

(ग) और (घ): केन्द्रीय सरकार के सभी आयुवर्गों के सत्तासी प्रतिशत पेंशनधारियों ने अपनी आधार संख्या को अपने बैंक खाते से जोड़ लिया है। 80 वर्ष और 90 वर्ष की आयु वाले पेंशनधारियों सहित सरकार के शेष तेरह प्रतिशत पेंशनधारियों ने अब तक अपनी आधार संख्या को अपने बैंक खाते से नहीं जोड़ा है। सरकार ने केन्द्रीय सरकार के सभी पेंशनधारियों की आधार संख्या को बैंक खाते से जोड़ने का प्रयास किया है ताकि वे डिजिटल जीवन प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने की अतिरिक्त सुविधा का लाभ उठा सकें। सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों को बुजुर्ग एवं निःशक्त पेंशनधारियों सहित, पेंशनधारियों को आधार संख्या जारी करने हेतु नामांकन करने के लिए प्राधिकृत किया गया है।

****